राजस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. 53/(आर ई-2010)2009-2014

विषय : प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 (2009-2014) के पैरा 3.11.8 में संशोधन ।

फा. सं. 01/91/180/160/एएम12/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 (2009-2014) के पैरा 3.11.8 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं ।

2. संशोधित पैरा 3.11.8 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"मुक्त पोतलदान बिल श्रेणी के तहत प्रस्तुत निर्यात पोतलदानों को, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के लाभों का दावा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित घोषणा करनी होगी :

'हम अध्याय 3 के लाभों का दावा करने के इच्छुक हैं ।'

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 (ड्राबैक सहित), अध्याय 5 अथवा अध्याय-6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए इस घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी ।

यदि वर्ष के दौरान, ऐसे लाभ प्राप्त करने हेतु किसी नए उत्पाद अथवा नए बाजार को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है तो :

(i) ऐसे उत्पादों/ऐसे बाजारों को निर्यात के लिए निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की उद्घोषणा के लिए एक महीने की छूट अवधि अनुमत होगी ।

(ii) एक महीने की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यातों (ऐसे उत्पादों या ऐसे बाजारों के लिए) को मुक्त पोतलदान बिलों पर उद्घोषणा के आशय को शामिल करना होगा ।

(iii) उत्पादों/बाजारों के निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं ।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :—

अब तक अध्याय 4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय 5 अथवा अध्याय 6 स्कीमों के तहत दायर किए गए पोतलदान बिलों को अध्याय 3 के लाभों का दावा करने के लिए "आशय की उद्घोषणा" की आवश्यकता थी । अब यह "आशय की उद्घोषणा" अध्याय 3 के लाभों का दावा करने के लिए केवल मुक्त पोतलदान बिलों के लिए अपेक्षित है ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd June, 2011

No. 53/(RE-2010)/2009-2014

Subject : Amendment of para 3.11.8 of HBP Vol. I (2009-2014)

F. No. 01/91/180/160/AM 12/PC-3.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 3.11.8 of the Handbook of Procedures Vol. I (2009-2014) with immediate effect.

2. The amended para 3.11.8 will now read as :

"Export shipments filed under the Free Shipping Bill category, would need the following declaration on the Shipping Bills in order to be eligible for claiming Chapter 3 benefits of FTP :

'We intend to claim Chapter 3 benefits.'

This declaration shall not be required for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP.

If there is a decision during the year to include any new product or new market to avail such benefit, then :

(i) For exports of such products/export to such markets, a grace period of one month from the date of decision/ notification/public notice will be allowed for making this declaration of intent on free shipping bills.

(ii) After the grace period of one month, all exports (of such products or to such markets) would have to include the declaration of intent on the free shipping bills.

(iii) For exports made prior to date of decision/notification/public notice of products/markets, such a declaration will not be required since such exports would have already taken place."

Effect of this Public Notice :

Till now Shipping Bills filed under Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 schemes needed a "Declaration of Intent" for claiming Chapter 3 benefits. Now this "declaration of Intent" is required only on Free Shipping Bills for claiming Chapter 3 benefits.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.